न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/94/2013

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रोहट जिला पाली

..... अपीलार्थी

ब ना म

1. गनिया पुत्र ताजु खां
2. ईशाक खां पुत्र गफुर खां
3. समसुदीन पुत्र गफुर खां
4. नेनू खां पुत्र गफुर खां

   जातिगण पिंजारा मुसलमान निवासीगण रोहट तहसील रोहट

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. सरकारी पैरोकार।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स।

निर्णय दिनांक : 26/02/2020

1. अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त अपील सहायक कलेक्टर, रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 171/10 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.12 के विरुद्ध इस आधार पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट्स वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है। रोहट चक प्रथम के खसरा नंबर 345 का रकबा 20 बीघा जमाबंदी में दर्ज होना स्वीकार करते हुए 16 बीघा कृषि भूमि का अधिक रकबा रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने व तरमीम करने का आदेश मनमाना है। अपील मीमो में यह भी बताया गया कि जमाबंदी में खसरा नंबर 345 का रकबा 20 बीघा ही दर्ज है, उससे अधिक 16 बीघा भूमि प्राप्त करने का रेस्पोडेण्ट्स वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. अपीलाण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया और यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 16 बीघा भूमि का खसरा नंबर 345 में रकबा बढ़ाने बाबत पारित निर्णय व डिक्री विधिनुसार नहीं होने से निरस्त की जावें, क्योंकि खसरा नंबर 345 का रकबा 20 बीघा ही दर्ज है। अपील को अंदर मयाद शुमार किए जाने के संबंध में निवेदन किया कि जान–बूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की गई है। राजकीय कार्य में व्यस्तत्ता के कारण अपील पेश करने में देरी होने से देरी माफ की जाकर अपील को अंदर मयाद शुमार किया जावें।

4. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट्स की ओर से वाद धारा 88, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट का अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि ग्राम रोहट चक प्रथम के खसरा नंबर 338 का कुल रकबा 73 बीघा 9 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था, जिसे वादीगण ने अलग–अलग विक्रय–पत्रों से भूमि विक्रय कर दी। वादीगण के अब खातेदारी में 338/2 के रूप में 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि ही दर्ज है। उपरोक्त भूमि के चिपता ही खसरा नंबर 345 है। खसरा नंबर 345 का कुल रकबा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में 20 बीघा शुरू से ही दर्ज है, लेकिन मौके पर खसरा नंबर 345 का वास्तविक रकबा 36 बीघा है और राजस्व नक्शा ट्रेस का खसरा नंबर 345 का नाप भी 36 बीघा है इस तरह खसरा नंबर 345 में 16 बीघा रकबा अधिक मौके पर एवं राजस्व नक्शे में है, जिस पर वादीगण और उनके पूर्वजों का संवत् 2010 से लगातार कब्जा–काश्त बतौर खातेदार रहा है। भूमि के चारों तरफ तारबंदी की हुई है। उपरोक्त हाल खसरा नंबर 345 के गत खसरा नंबर 637, जिसका रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा था, जिसके दो नए खसरा नंबर 345 रकबा 20 बीघा एवं खसरा नंबर 338 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया गया है। इस तरह खसरा नंबर 345 व 338 एक ही गत खसरा नंबर 637 से बने हैं। उपरोक्त भूमि अर्थात् खसरा नंबर 338 वादीगण के पूर्वजों के नाम संवत् 2010 में ही दर्ज हो गई थी। मौके पर खसरा नंबर 338 का रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, जो कि गत खसरा नंबर 637 से बना था, उसके स्थान पर वादीगण का कब्जा–काश्त 26 बीघा 10 बिस्वा पर तत्समय से रहा था। मौके पर अन्य किसी भी अड़ोसी–पड़ोसी खातेदार के पास अथवा खसरा नंबर 345 के खातेदार के पास जमाबंदी में दर्ज रकबे से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कम रकबा नहीं है। पूर्व में गत खसरा नंबर 637 का रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा सरकारी सिवाय चक था, जिसे बाद में हाल खसरा नंबर 338 के रूप में 10 बीघा 10 बिस्वा वादीगण के पूर्वजों के नाम एवं 20 बीघा अन्य व्यक्तियों के खातेदारी में दर्ज की गई थी। इस प्रकार से उपरोक्त 16 बीघा भूमि खसरा नंबर 345 में मौके एवं राजस्व नक्शे में राज. टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के पूर्व से ही उपलब्ध रही है, जो वादीगण के कब्जे–काश्त में रही है इसलिए बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण रेस्पोडेण्ट्स खातेदार हो चुके हैं इस बाबत वाद के साथ प्रस्तुत नक्शे में लाल रंग से उपरोक्त मौके एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में उपलब्ध 16 बीघा भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है।

5. अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद का जवाबदावा पेश कर यह स्वीकार किया गया कि मौके पर रकबा अधिक है और नक्शा ट्रेस में भी अधिक है, जिस पर वादीगण काबिज है, लेकिन रेकर्ड में सिवाय चक भूमि दर्ज नहीं होने से 16 बीघा की खातेदारी वादीगण रेस्पोडेण्ट्स को देने से गांव का रकबा बढ़ेगा इस कारण से वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया था। मौके पर खसरा नंबर 345 की 20 बीघा भूमि खातेदारों के कब्जे में होना स्वीकार किया, साथ ही खसरा नंबर 345 में 16 बीघा रकबा बेसी होना एवं उस पर वादीगण का कब्जा होना भी स्वीकार किया। जवाब के साथ ही तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश की गई थी। रेस्पोडेण्ट ने अपने वाद के समर्थन में वादी गनिया, ईशाक, नेनूखां, समसुदीन, ढ़लाराम, इब्राहीम को पी.डब्ल्यू.–1 से 6 के रूप में पेश किया, साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 वाद के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–2 से 4 जमाबंदी, प्रदर्श–5 जमाबंदी खसरा नंबर 345, प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–7 गत नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–8 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–9 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–10 भूमि एकीकरण खतौनी, प्रदर्श–11, 12 खतौनी बंदोबस्त सेटलमेन्ट, प्रदर्श–13 मौका फर्द, प्रदर्श–14 मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट की नकलें पेश की। प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.डब्ल्यू.–1 के रूप में बाबुलाल पटवारी के बयान करवाए गए, जिसमें रेस्पोडेण्ट्स वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है। मौके पर 16 बीघा रकबा खसरा नंबर 345 में अधिक होना और उस पर वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है। इस प्रकार से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

साक्ष्य से वादीगण का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तनकी अनुसार निर्णय करते हुए स्वीकार किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज फरमावें।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम के संबंध में न्यायालय का मत है कि सरकारी पक्ष द्वारा अपील पेश की गई है, जिसमें कुछ विलंब होना बताया गया है। रेस्पोडेण्ट की ओर से जवाब पेश कर अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया, क्योंकि अपील को मैरिट पर ही निर्णित किया जाना न्यायोचित्त रहता है इस कारण से विलंब को माफ कर अपील अंदर मयाद शुमार की जाती है। अपील मीमो अनुसार अपील केवल इस आधार पर पेश की गई है कि खसरा नंबर 345 का 20 बीघा रकबा ही जमाबंदी में दर्ज है। जमाबंदी से अधिक 16 बीघा भूमि प्राप्त करने का रेस्पोडेण्ट्स अधिकारी नहीं हैं और इस बाबत पारित निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होना बताया। इसके अलावा अन्य कोई कारण नहीं बताए। दौराने बहस भी सरकारी पैरोकार ने इस संबंध में विशिष्ठ रूप से ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है, जिससे कि खसरा नंबर 345 का रकबा मौके पर एवं नक्शा ट्रेस में जमाबंदी में दर्ज रकबे से अधिक 16 बीघा रकबा दर्ज नहीं हो और उस पर वादीगण का कब्जा–काश्त नहीं हो, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय में तो प्रस्तुत जवाबदावे, अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत मौका फर्द, तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं डी.डब्ल्यू.–1 पटवारी बयान में वाद के तथ्यों को पूर्णरूपेण स्वीकार किया है और यह माना है कि खसरा नंबर 345 का कुल रकबा जमाबंदी में 20 बीघा ही दर्ज है, जो कि जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के कब्जे व आधिपत्य में है, लेकिन मौके पर प्रदर्श–1 नक्शे में दर्शित अनुसार कुल रकबा 36 बीघा है, जो जमाबंदी में दर्ज तथ्यों से 16 बीघा बेसी रकबा है और यही स्थिति राजस्व नक्शा ट्रेस की होना स्वीकार किया है अर्थात् नक्शा ट्रेस में भी 16 बीघा नक्शे का नाप करने पर रकबा अधिक बनता है और उस पर वादीगण शुरू से ही काबिज रहे हैं इस बाबत भी अपीलाण्ट की ओर से कोई खण्डन नहीं हुआ है। प्रदर्श–13 व 14 तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं मौका फर्द एवं जवाबदावे में वर्णित तथ्यों अनुरूप जब वादीगण के वाद को ही स्वीकार कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में शेष कुछ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भी नहीं रहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को तनकी अनुरूप निर्णित किया है।

7. तनकी संख्या एक को अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निर्णित होना माना है और अपीलाण्ट की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.10 प्रदर्श–13 अनुरूप मौके पर खसरा नंबर 345 में अतिरिक्त रकबा होना स्वीकृत स्थिति है। तनकी संख्या एक के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त वाद में प्रस्तुत दस्तावेजात्, तथ्यात्मक रिपोर्ट, गवाहान के बयान, अपीलाण्ट के गवाह डी. डब्ल्यू.–1 के बयानों के आधार पर वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। केवल इस आधार पर कि उक्त वाद डिक्री होने से 16 बीघा भूमि की खातेदारी वादीगण को दी गई है, जबकि यह खातेदारी देने से किसी व्यक्ति अथवा सरकार की भूमि कम नहीं होती है, न ही सिवाय चक भूमि दर्ज है इस कारण से उक्त 16 बीघा भूमि वादीगण के खातेदारी की दर्ज होने से गांव का रकबा बढ़ जाएगा। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत हुआ है, उस अनुसार गत खसरा नंबर 637 का कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा था, लेकिन मौके पर उपरोक्त रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा था। तत्समय तैयार राजस्व रेकर्ड में उक्त गत खसरा नंबर 637 का रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा होने से भूमि एकीकरण के पश्चात् नए खसरा नंबर 345 रकबा 20 बीघा और नए खसरा नंबर 338 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर उक्त खसरा नंबर 338 वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज कर दिया, जबकि तत्समय मौके पर उपलब्ध भूमि 26 बीघा 10 बिस्वा रही। उक्त बेसी रकबा 16 बीघा को खसरा नंबर 345 के नक्शा ट्रेस में ही दर्शा दिया गया। खसरा नंबर 345 के नक्शा ट्रेस का नाप किए जाने पर रकबा 36 बीघा बन रहा है, जबकि जमाबंदी में रकबा 20 बीघा ही दर्ज है और मौके पर भी रकबा 36 बीघा होना अपीलाण्ट प्रतिवादी ने जवाबदावे, तथ्यात्मक रिपोर्ट, मौका फर्द एवं बयान डी. डब्ल्यू.–1 में स्वीकार किए गए हैं। खसरा नंबर 345 व 338 एक ही गत खसरा नंबर 637 से बने हैं और दोनों ही खसरा नंबर पास–पास चिपते हुए हैं, जिसमें से खसरा नंबर 338 की खातेदारी वादीगण रेस्पोडेण्ट्स की रही हैं। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में भूमि एकीकरण के समय का मिलान क्षेत्रफल, उससे पूर्व की भू–प्रबंध की खतौनी, मिलान क्षेत्रफल से उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है कि उपरोक्त बेसी रकबा 16 बीघा भूमि पूर्व में वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेस्पोडेण्ट्स के ही कब्जे, आधिपत्य, खातेदारी की रही है, लेकिन तत्समय तैयार किए गए राजस्व रेकर्ड में भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा गलत रूप से उपरोक्त बेसी रकबा 16 बीघा को वादीगण रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी में दर्ज नहीं किया, न ही सिवाय चक किया, न ही बेसी रकबे का कहीं इंद्राज किया, लेकिन उपरोक्त बेसी रकबा मौके पर और नक्शा ट्रेस में उपलब्ध होना अपीलाण्ट प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकार किया है। चूंकि वर्तमान खसरा नंबर 338 के कुल रकबा 73 बीघा 9 बिस्वा में 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 637 की सम्मिलित है शेष भूमि गत खसरा नंबर 616, 618, 619, 628 की सम्मिलित की गई है, जिसकी पुष्टि भी भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल से होती है ऐसी स्थिति में भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध अधिकारियों की गलती व लापरवाही के कारण वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की काश्त व कब्जाशुद 16 बीघा भूमि को गलत रूप से वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं की, न ही अन्य किसी व्यक्ति के खातेदारी में दर्ज की, न ही सिवाय चक दर्ज और कहीं भी दर्ज नहीं करते हुए उक्त रकबे को ऐसे ही छोड दिया, जबकि मौके पर उक्त बेसी रकबा 16 बीघा खसरा नंबर 345 में उपलब्ध रहा है और नक्शा ट्रेस में भी खसरा नंबर 345 में उपलब्ध रहा है, जो तथ्य प्रदर्श–13, 14, खतौनी बंदोबस्त सेटलमेन्ट प्रदर्श–11, 12 से प्रमाणित है। इस संबंध में रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2000 डी.एन. जे. पेज 235, 2000–01 डी.एन.जे. पेज 245, 2003(3) आर.एल.डब्ल्यू. पेज 1892, 2011(2) आर.आर.टी. पेज 1128, 2018(2) आर.आर.टी. पेज 1030, 2020(1) आर. आर.टी. पेज 24, 37 पूर्णरूपेण चस्पा होते हैं, साथ ही धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती है इस कारण से सेटलमेन्ट के दौरान रही भूल से वादीगण को अपने हक–अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, साथ ही उपरोक्त आशंका अथवा तथ्यों के आधार पर वादीगण को अनुतोष से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बेसी रकबा वादीगण की खातेदारी में दर्ज किए जाने से गांव का रकबा बढ़ जाएगा। राजस्व अधिकारी, सेटलमेन्ट अधिकारी व कर्मचारियों की गलती का दंड वादीगण को नहीं दिया जा सकता है और इस कारण से वादीगण को अपने अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर एवं न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर तनकी संख्या एक को रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

8. तनकी संख्या दो के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय ने फाईन्डिंग देते हुए यह स्पष्ट किया है कि जब संपूर्ण वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात्, जवाबदावा एवं मौका फर्द, इत्यादि से 16 बीघा भूमि अधिक होना स्वीकृत स्थिति होना माना है, लेकिन केवल गांव का रकबा बढ़ जाएगा इसलिए सिवाय चक दर्ज करने की प्रार्थना की है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उचित नहीं माना है, क्योंकि जब सिवाय चक दर्ज करने से भी गांव का रकबा बढ़ेगा और वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने से भी गांव का रकबा बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में सिवाय चक किए जाने का कोई औचित्य नहीं है और इस आधार पर वादीगण को प्राप्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है इस प्रकार से उक्त तनकी को भी विधिनुसार निर्णित किया गया है।

9. तनकी संख्या तीन का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में किया गया है, क्योंकि तनकी अनुरूप वादीगण को खातेदारी देने के बजाय वादीगण की बेदखली प्रतिवादीगण ने चाही थी। चूंकि इस बाबत न तो प्रतिवादी का काउण्टर क्लैम था, न ही इस बाबत कोई अनुतोष चाहा गया था ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकी को विधिनुसान निर्णित किया गया है।

10. इस प्रकार समस्त तनकियात को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार निर्णित किया गया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री ठोस आधारों पर होने से अपील पोषणीय नहीं है, साथ ही अपील बलहीन, सारहीन होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलाण्ट बलहीन, सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाते हैं। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑर्डर 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "4" 9)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/94/2013

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रोहट जिला पाली

..... अपीलार्थी

ब ना म

1. गनिया पुत्र ताजु खां
2. ईशाक खां पुत्र गफुर खां
3. समसुदीन पुत्र गफुर खां
4. नेनू खां पुत्र गफुर खां

   जातिगण पिंजारा मुसलमान निवासीगण रोहट तहसील रोहट

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील संख्या 94/2013 बनाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत सहायक कलेक्टर, रोहट

दिनांक 18.6.12 बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 171/10

दावा बाबत 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह अपील बतारीख 26/02/2020 को रूबरू हमारे व बहाजिर सरकारी पैरोकार अपीलाण्ट व श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स समायत होकर हुक्म हुआ कि लिहाजा अपील अपीलाण्ट बलहीन, सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाते हैं। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर मुहर अदालत आज तारीख 26/02/2020 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)